राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः एफ.37( )पराविं/प्र.2/क.लि.सीधी भर्ती–13/मार्गदर्शन/हनु.बारां.कोटा.गंगा./17/ 3173 जयपुर, दिनांकः 1/8/17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।

विषयः विज्ञप्ति में निर्धारित प्रशैक्षणिक योग्यता (कम्प्यूटर योग्यता) प्राप्त करने की अन्तिम तिथि के विनिश्चयन बाबत।

विषयान्तर्गत विभिन्न जिला परिषदों से ऐसे प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें यह मार्गदर्शन चाहा गया कि कम्प्यूटर योग्यता बाबत मान्यता प्राप्त संस्थान से योग्यता हासिल करने की अन्तिम तिथि क्या मानी जावे। इस बाबत विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 1378 दिनांक 07.05.2013 के बिन्दु संख्या–30 पर व्यवस्था दी गई थी, लेकिन इस बिन्दु को लेकर विभिन्न अभ्यर्थी माननीय न्यायालयों में गये।

इस विषय में एक महत्वपूर्ण निर्णय एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8702/2013 राधा देवी बनाम सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार निर्णय पारित किया गया –

> "Heard on stay petition. Considering the fact in entirety the respondents are directed to provissionally consider the candidature of the incumbent petitioners, if he/she/they have completed RSCIT or any other computer education in accordance with the rules governing the province of the recruitment, or is/are otherwise eligible for the post in question before finalization of the selection list. After consideration of the same the respondents would act accordingly and pass necessary order subject to availability of vacancies."

लेकिन हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3877/2017 रघुनाथ मेनारिया बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2017 में निर्णय दिया कि –

> "An applicant should be qualified on the date of submission of the application form and he should also produce such certificate on the date of verification of the documents. Thus, their candidature cannot be considered being ineligible on the cut off date."

दो भिन्न भिन्न प्रकार के निर्णय आने के कारण विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक 21.08.2017 से पूर्व कनिष्ठ लिपिक भर्ती, 2013 की चयन प्रक्रिया को पूर्ण कर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश दिये हुए है।

अतः प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो ऊपर वर्णित माननीय न्यायालय के निर्णयों से प्रभावित हो लेकिन अन्यथा मैरिट लिस्ट में भर्ती हेतु पात्रता रख रहे हो, उनके लिए माननीय न्यायालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक पद आरक्षित रखते हुए शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नियुक्तियां पूर्ण की जावें। समस्त

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने संशोधित परिणाम में इस प्रकार के प्रकरणों का स्वयं ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे व माननीय न्यायालय के निर्णयों से प्रभावित होने वाले अभ्यर्थियों हेतु माननीय न्यायालय से प्राप्त किये जा रहे मार्गदर्शन का निर्णय आने तक स्थान आरक्षित रखें।

चूंकि माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक 21.08.2017 तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है। अतः समस्त जिले दिनांक 08.08.2017 तक संशोधित परीक्षा परिणाम तैयार करेंगे एवं इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 1400 दिनांक 12.04.2017 के साथ संलग्न 6 प्रपत्रों में समस्त सूचना विभाग को Excel फाईल में अंग्रेजी में तैयार कर दिनांक 09.08.2017 को प्रातः 10:00 बजे तक प्रेषित करेंगे। यह पुनः स्पष्ट किया जा रहा है कि संशोधित परीक्षा परिणाम तैयार कर विभाग मुख्यालय पर भेजा जायेगा। इसे बिना विभाग की पूर्वानुमति से किसी भी स्थिति में जारी नहीं किया जायेगा। विभाग द्वारा परीक्षण एवं अनुमति उपरान्त ही संशोधित परिणाम जारी कर नियुक्तियाँ दी जायेंगी।

(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
5. शासन उप सचिव(विधि), पंचायती राज विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

प्रोग्रामर - अपलोड हेतु।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

D:\ACJS_N\Letters A2.docx